

ग्राहक पहचान प्रक्रिया

सत्यापन किए जाने योग्य विशिष्टताएं एवं इस हेतु ग्राहकों से लिए जाने वाले दस्तावेज

सत्यापित की जाने वाली विशिष्टताएं	ग्राहकों से लिए जाने वाले दस्तावेज
वैयक्तिक खाते <ul style="list-style-type: none"> • विधिक नाम एवं प्रयुक्त अन्य नाम 	(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड (vi) नाम, पता एवं आधार संख्या के विवरण सहित भारत सरकार के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र (vii) पहचान पत्र (बैंक की संतुष्टि के अधीन) (viii) बैंक की संतुष्टिदायक ग्राहक की पहचान एवं निवास की पुष्टि करते हुए मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी अथवा जनसेवक कर्मचारी से पत्र (ix) अनिवासी भारतीयों के खातों मामले में पासपोर्ट एवं वीजा की प्रतियां अनिवार्य हैं.
सही स्थायी पता	(i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरणी (iii) किसी मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) बिजली बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोजक से पत्र (बैंक की संतुष्टि के अधीन) (ऐसा कोई भी दस्तावेज जिससे बैंक को संतुष्टिदायक ग्राहक सूचना उपलब्ध होती हो, वह पर्याप्त होगा) (vii) राज्य सरकार अथवा उसके समान किसी पंजीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत किरायानामा जिससे पता निर्दिष्ट होता हो.
कंपनियों के खाते <ul style="list-style-type: none"> • कंपनी का नाम • व्यवसाय का प्रमुख स्थान • कंपनी का पत्राचार पता • दूरभाष/फैक्स नंबर 	(i) निगमन प्रमाणपत्र एवं संस्था के अंतर्नियम (ii) खाता खोलने हेतु निदेशक मंडल का संकल्प एवं उन व्यक्तियों की पहचान जो खाते के परिचालन हेतु प्राधिकृत हैं (iii) इसके प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को उनकी ओर से खाते के परिचालन हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) पैन आबंटन पत्र की प्रति (v) टेलीफोन बिल की प्रति
भागीदारी फर्मों के खाते <ul style="list-style-type: none"> • विधिक नाम • पता • सभी भागीदारों के नाम एवं उनके पते • व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं भागीदारों 	(i) यदि पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र (ii) भागीदारी विलेख (iii) फर्म के भागीदार अथवा एक कर्मचारी को उनकी ओर से लेनदेन करने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) भागीदारों एवं मुख्तारनामा धारक व्यक्तियों की पहचान एवं उनके पते हेतु कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज (v) फर्म/भागीदारों के नाम के टेलीफोन बिल

के टेलीफोन नंबर	
<u>न्यासों एवं प्रतिष्ठानों के खाते</u> <ul style="list-style-type: none"> • न्यासियों, निष्पादकों, लाभार्थियों एवं हस्ताक्षरियों के नाम • संस्थापक, प्रबंधकों/निदेशकों और लाभार्थियों के नाम एवं पते • दूरभाष/फैक्स नंबर 	<p>यदि पंजीकृत है, तो पंजीकरण का प्रमाणपत्र (ii) उनकी ओर से व्यावसायिक लेनदेन करने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iii) न्यासियों, निष्पादकों, लाभार्थियों एवं जो मुख्तारनामाधारक; संस्थापक/प्रबंधक/निदेशक की पहचान तथा उनके पते का कोई वैध कार्यालयीन दस्तावेज (iv) प्रतिष्ठान/एसोसियेशन के प्रबंधन निकाय का संकल्प (v) टेलीफोन बिल</p>
<u>स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते</u> <ul style="list-style-type: none"> • प्रतिष्ठान के नाम, पते एवं गतिविधियों का साक्ष्य 	<ul style="list-style-type: none"> • पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत फर्म के मामले में) • दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत नगरनिगम के प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/लाइसेंस • बिक्री एवं आयकर विवरणी • सीएसटी/वैट प्रमाणपत्र • बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज • पंजीकरण प्राधिकरण जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा परिषद, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी प्रैक्टिस प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम में जारी पंजीकरण लाइसेंस दस्तावेज इसके अलावा बैंक खाता खोलने के लिए पहचान दस्तावेज के तौर पर डीजीएफटी कार्यालय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान को जारी आईईसी प्राधिकार/(आयातक विभाग, निर्यातक कोड को भी है). • एकल स्वामित्व फर्म के नाम से विधिवत सत्यापित संपूर्ण आयकर विवरणी (सिर्फ पावती नहीं) • ऐसा दस्तावेज जिसमें आयकर प्राधिकारियों द्वारा प्ररावर्तक प्रमाणित/स्वीकार्य आय प्रदर्शित हो. • एकलस्वामित्व संस्थान के नाम में बिजली, पानी, और लैंडलाइन टेलीफोन बिल इत्यादि यूटिलिटी बिल. • उपर्युक्त में से कोई भी दो दस्तावेज पर्याप्त हैं. ये दस्तावेज स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से होने चाहिए.